न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(सुबे सिंह यादव,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 155/2011

प्रविष्टि दिनांक 24.05.2011

सआदत उल्ला खान पुत्र मजीदुल्ला खान जाति मुसलमान निवासी शास्त्री नगर टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2–नगर परिषद टोंक जरिये आयुक्त नगर परिषद टोंक

3–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित–(1) श्री सरवर अली,अभिभाषक प्रार्थी
(2) श्री रामअवतार सोनी,अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–3

दिनांक 16.04.2018

निर्णय

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम मेहगांव तहसील टोंक की भूमि ख0नं0 500/2 में 142 वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा 130 वर्गमीटर भूमि का बारानी–1 व 12 वर्गमीटर भूमि का आवासीय दर से निर्धारण किया गया है। अतः अवार्ड दिनांक 20.12..2010 को निरस्त कर 130 वर्गमीटर भूमि का मुआवजा आवासीय दर से दिलवाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 762/09 दिनांक 20.12.2010 तलब की गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 500/2 रकबा 142 वर्गमीटर वाके ग्राम मेहगांव मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात 3 सी के अन्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आपत्ति का निस्तारण करते हुये धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुद्वा भूमि पर स्थित (structures) का मुआवजा स्वतंत्र कन्सलटैट मैसर्स अजीत सर्वे एंव कन्सलटेन्ट्स प्रा.लि. जयपुर से प्राप्त सर्वे रिपोर्ट के अनुसार वास्तविक नाप

ली जाकर राज0सरकार की प्रभावी बेसिक शेड्यूल ऑफ रेट (बी.सी.आर) के अनुसार मूल्यांकन कराया है,जो पूर्णतः सही व उचित है।सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी–1 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी । सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्मपूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–3 की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अवार्ड पत्रावली व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति एन0एच–12 टोंक क्षेत्र (अति0 जिला कलेक्टर टोंक) द्वारा अवार्ड सं0 762/09 दिनांक 20.12.2010 सआदत उल्ला खांन पुत्र मजीदुल्ला खां जाति मुसलमान शास्त्री नगर टोंक के हक मे ख0नं0 500/2 मे 130 वर्गमीटर का बारानी–1 व 12 वर्गमीटर का आवासीय दर से जारी किया गया है। जमाबंदी सम्वंत 2063–66 वाके ग्राम मेहगांव मे ख0नं0 500/2 रकबा 2 बीधा भूमि बारानी–1 नगर परिषद टोंक की खातेदारी मे दर्ज है। नगर परिषद टोंक द्वारा दिनांक 26.07.2005 को शहरी जमाबंदी के आधार पर आवासीय प्रयोजनो के लिए भूमि पट्टा–विलेख भू–खण्ड संख्या 2 व 3 का 300 वर्गगज का सआदत उल्ला खान पुत्र मजीदुल्ला खान जाति मुसलमान निवासी शास्त्री नगर टोंक के हक मे जारी किया गया है। जबकि प्रतिपक्षीगण द्वारा 130 वर्गमीटर का कृषि भूमि व 12 वर्गमीटर का आवासीय दर से अवार्ड जारी किया गया है, जो उचित प्रतीत नही होता है।अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी की हद तक आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक को निर्देशित किया जाता है कि पारित अवार्ड संख्या 762/2009 दिनांक 20.12.2010 को संशोधित किया जाकर ग्राम मेहगांव तहसील टोंक के ख0नं0 500/2 रकबा 2 बीघा मे से अवाप्त शुदा रकबा 142 वर्गमीटर मे से 12 वर्गमीटर का आवासीय दर से अवार्ड जारी किया जा चुका है तथा शेष 130 वर्गमीटर भूमि का भी आवासीय दर 1538.68 रूपये प्रति वर्गमीटर से अवार्ड जारी किया जावे। अधिनियम की धारा 3 एच (5) मे वर्णित प्रावधान अनुसार पूर्व मे निर्धारित की गई राशि से अधिक बढी हुई राशि का भुगतान तिथी तक 9 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देय होगा। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को पालनार्थ प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 16.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुबे सिंह यादव)
आरबीट्रेटर एन.एच.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक